क्रम-संख्या—60

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/ लाई०—
न्यूज पेपर / 91 / 05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 मार्च, 2006

फाल्गुन 19, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/2/97—का—1-2006

लखनऊ, 10 मार्च, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०—14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2—यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन, राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली या तद्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में,–

(क) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "पद" या "सेवा" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है।

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

4–यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र में, अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2/97–Ka–1-2006, dated March 10, 2006:

No. 13/2/97–Ka–1-2006

Dated Lucknow, March 10, 2006

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:–

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS RELAXATION IN QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION RULES, 2006

Short title, commencement and application

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006.

(2) They shall come into force atonce.

(3) They shall apply to the promotion by selection to a post or service under the rule making power of the Governor conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) 'Constitution' means the Constitution of India;

(*b*) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(*c*) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;